न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

जवाहरा राम बनाम झोडमल आदि

नाम व तारीख हुक्म जारी	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. 341/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– कल्याणपुरा में पेश हुई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं. 5 के कायम मुकामान वारिसान 5/1 से 5/5 व प्रतिवादी सं. 8, 11 व 13 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये। शिविर में उपस्थित वादी संख्या 1, 2 व 3/3 की पहचान वादीगण वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5/2 की पहचान श्री झाबर सिंह भारणी एड0 के द्वारा की गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 20/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–कल्याणपुरा	जवाहरा राम (जवाहरा राम पुत्र भूराराम वादी नं. 1) गोपाल (गोपाललाल पुत्र श्री राम वादी नं. 2) विनोद कुमार (विनोद कुमार पुत्र ... वादी सं. 3/3) पहचान ... (फूलचन्द सामोता एड.) (हस्ताक्षर) (झोडमल पुत्र भूराराम प्रतिवादी नं. 1) परसराम (परसराम पुत्र ... प्रतिवादी सं. 5/2) ईश्वरराम (ईश्वरराम पुत्र भूराराम प्रतिवादी नं. 4) पहचान करता हूँ (हस्ताक्षर) (झाबरसिंह भारणी एड.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
41/2014	2014/688	11.11.2014	20.10.2021

उनवान

1. जवाहरा राम पुत्र भूराराम उम्र–70 साल
2. भगवान सहाय पुत्र भूराराम उम्र–65 साल
3. रामनाथ पुत्र बालूराम (मृत्तक) के बजायः–
   3/1 झाबर मल पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र–40 साल
   3/2 बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र–38 साल
   3/3 विनोद कुमार पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र–36 साल
   3/4 प्रभाती देवी पत्नी स्व0 रामनाथ उम्र–60 साल
4. श्रवण कुमार पुत्र बालूराम (मृत्तक) के बजायः–
   4/1 श्रीमती कोयली देवी पत्नि स्व0 श्रवण कुमार
   4/2 मुकेश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार
   4/3 दिनेश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. कजोड़मल पुत्र मंशाराम उम्र– 58 साल
2. रामवतार पुत्र मंशाराम उम्र– 56 साल
3. रामगोपाल पुत्र मंशाराम उम्र– 54 साल
4. हंसराज पुत्र मंशाराम उम्र– 50 साल
5. रामनारायण पुत्र धन्नाराम (मृत्तक) के बजायः–
   5/1 श्रीमती झमरी देवी पत्नी स्व0 रामनारायण उम्र– 65 साल
   5/2 परसराम पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–45 साल
   5/3 गीगराज पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–40 साल
   5/4 औमप्रकाश पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–35 साल
   5/5 राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामनारायण उम्र–30 साल
6. फत्ती देवी पत्नी स्व0 सुरजा राम उम्र–65 साल
7. शिशपाल पुत्र सुरजा राम उम्र–45 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:17 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

8. बाबूलाल पुत्र सुरजाराम उम्र— 35 साल
9. चावली पत्नी रामलाल उम्र— 60 साल
10. हरिसिंह पुत्र रामलाल उम्र— 35 साल
11. सुरेश पुत्र रामलाल उम्र— 30 साल
12. नेकीराम पुत्र गोविन्दराम उम्र— 55 साल
13. देवीसहाय पुत्र गोविन्दराम उम्र— 50 साल
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर
14. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
15. मैनेजर, एस.बी.आई. बैंक शाखा श्रीमाधोपुर

उपस्थित— प्रतिवादीगण

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री झाबर सिंह भारणी, प्रतिवादीगण नं. 1 से 13 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 14

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 55, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1807 लगायत 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.61 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 1.15 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 1598, 1599, 1595, 1596 कुल किता 4 कुल रकबा 1.45 हैक्टर तथा चाह भूमि खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.02 हैक्टर तन् ग्राम ढाणी डेरावाली में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से है जो सजरा खानदान से प्रकट है। प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार उक्त कृषि भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमियॉ है। जिसका पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा अर्सा लगभग 50—55 साल पूर्व कर लिया था जिसके मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 1807 लगायत 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.61 हैक्टर में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मृत्तक पिता मंशा के नाम दर्ज हिस्से में से 1/3 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/12 हिस्सा वादी संख्या 1 तथा 1/3 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/12 हिस्सा वादी संख्या 2 तथा 1/3 हिस्सा अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कुल भूमि में 1/12 हिस्सा वादी संख्या 3 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आया है तथा इसी अनुसार वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 1.15 हैक्टर वादी संख्या 1 व 2 तथा 4 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण सं. 6 ता 13 का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है। इसलिए वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि बाबत यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.2.1987 व 27.9.86 को उक्त भूमियों बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश नीमकाथाना कैमप– श्रीमाधोपुर में दावें में अंकित भूमियों की खातेदारी पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा अनुसार दर्ज किये जाने हेतु बरूए राजीनामा डिक्री हो गये थें परन्तु उसके आधार पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी। वादीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को समतल व उपजाउ बनाकर विकसित कर रखी है। वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अर्सा 10 दिन पहले इन्कार हो गये तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 व 6, 7, 9, 10, 12 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 5 के कायम मुकामान वारिसान 5/1 से 5/5 व प्रतिवादी सं. 8, 11 व 13 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5/2 ने उपस्थित होकर वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 से 15 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा आज ही अन्य प्रतिवादीगणों के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किये जाने [illegible] में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा किया गया [illegible] बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में वादी संख्या 1, 2 व 3/3 एंव प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5/2 ने उपस्थित होकर प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:17 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की है। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में खसरा नम्बर 1807 से 1828 व 1800 एंव 1598, 1599, 1595, 1596 की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 के मृत्तक पिता मंशाराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों एंव उपस्थित प्रतिवादीगण की सहमति से वादीगण अपनी कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1807 से 1828 कुल किता 22 कुल रकबा 6.61 हैक्टर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 1.15 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता मृत्तक मंशा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता मृत्तक मंशा व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 हिस्सा का वादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातेदारी से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मृत्तक पितां मंशा के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 से हजफ किये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 1598, 1599, 1595, 1596 कुल किता 4 कुल रकबा 1.45 हैक्टर तथा चाह खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.02 हैक्टर में 1/3 हिस्सा का वादी सं. 1 को तथा 1/3 हिस्सा का वादी सं. 2 को तथा 1/3 हिस्सा का वादी सं. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 6 ता 13 का नाम हजफ किया जाकर शेष खसरा नम्बरान की खातेदारी बदस्तूर प्रतिवादीगण सं. 6 ता 13 के नाम बदस्तूर रखे जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:17 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त वि[illegible] वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा

20/10/21
दिलीपसिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर